

कंपनी (राष्ट्रीय निधि दान) अधिनियम, 1951¹

(1951 कर अधिनियम संख्यांक 54)

[17 अक्टूबर, 1951]

कम्पनियों को राष्ट्रीय निधियों में दान करने के वास्ते समर्थ बनाने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (राष्ट्रीय निधि दान) अधिनियम, 1951 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय* सम्पूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में,—

(क) “कम्पनी” से कम्पनी अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है और उस अधिनियम की धारा 2ख के आधार पर उस अधिनियम के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कम्पनी इसके अन्तर्गत है;

(ख) “कम्पनी अधिनियम” से भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) अभिप्रेत है।

3. कतिपय राष्ट्रीय निधियों में दान करने की कम्पनियों की शक्ति—कोई कम्पनी, कम्पनी अधिनियम में या उसके कामकाज को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कम्पनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद उसे ऐसा करने के वास्ते समर्थ नहीं बनाते हैं, कम्पनी अधिनियम की धारा 81 के उपबंधों के अनुसार पारित किसी असाधारण संकल्प द्वारा, गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि या सरकार वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्मारक निधि में, या पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में, जिसे उसके राष्ट्रीय महत्व कि कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है, दान करना प्राधिकृत कर सकेगी।

4. [1948 के अधिनियम 35 का निरसन] — निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

¹ 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर इसका विस्तार किया गया।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया।